प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

<u>रिट अपील क्र. 45/2008</u>

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

...अपीलार्थी (उत्तरवादी)

बनाम

रमाशंकर यादव

...उत्तरवादी (याचिकाकर्ता)

- -

<u>विचारार्थ</u>

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एन. चंद्राकर,

सही/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

<u>आदेश हेतु 4th सितंबर, 2009 को सूचीबद्ध किया जाए</u>

सही/-

न्यायाधीश

03/09/2009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील क्र. 45/2008

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, पुलिस एवं गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
2. कमांडेंट, 22वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र बल, माना, रायपुर (छ.ग.)
3. कमांडेंट, 4वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र बल, रायपुर (छ.ग.)
4. उप महानिरीक्षक, विशेष सशस्त्र बल, बिलासपुर (छ.ग.)
5. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)

...अपीलार्थी (उत्तरवादी)

बनाम

रमाशंकर यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता कुलदीपन यादव (निलंबित आरक्षक क्रमांक 84-4थी बटालियन विशेष सुरक्षा बल माना, रायपुर (छ.ग.), वर्तमान निवासी ग्राम सरदीलपुर, पोस्ट ऑफिस मुडेरा, जिला बलिया (उ.प्र.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

...उत्तरवादी (याचिकाकर्ता)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगल पीठ में अपील) अधिनियम 2006 की धारा 2(1) के अंतर्गत अपील

- -

उपस्थित:

श्री किशोर भादुड़ी, राज्य/अपीलार्थियों के अतिरिक्त महाधिवक्ता

श्री मलय कुमार भादुड़ी, उत्तरवादी के अधिवक्ता

- -

युगलपीठ : **माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायधीश और**

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायधीश

<u>आदेश</u>

(4 सितंबर, 2009)

माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेंद्र मिश्रा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय उद्घोषित किया गया :-

(1) यह रिट अपील रिट याचिका क्र. 4543/2004 में पारित अनुलग्न-ए/1 दिनांक 29 जनवरी, 2008 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत उत्तरवादी द्वारा दायर याचिका को ओ.ए. क्र. 1207/89 में पारित दिनांक 18-2-2000 के निर्णय और आदेश के संदर्भ में अनुमति दी गई है और अपीलार्थियों को उत्तरवादी की तत्काल बहाली पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।

(2) इसके बाद पक्षकारों को उनके विवरण के अनुसार रिट न्यायालय के समक्ष भेजा जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी 22वीं बटालियन, माना, रायपुर से बर्खास्त आरक्षक है। उसे वर्ष 1996 में अपने दिवंगत ससुर के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर आरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने लगातार 3 वर्षों तक आरक्षक के रूप में कार्य किया था। उसे 24-2-2000 के आदेश (अनुलग्न-पी/1) द्वारा इस आधार पर सक्रिय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था कि उसे दो अवसर दिए जाने के बावजूद वह बुनियादी प्रशिक्षण परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा था। अतः, परिपत्र दिनांक 8-5-96 के अनुपालन में उसे सेवा से हटा दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 30-12-2000 के आदेश (अनुलग्न-पी/2) द्वारा खारिज कर दिया। पुलिस महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत याचिका को दिनांक 8-7-2002 के आदेश (अनुलग्न-पी/3) द्वारा पुनः खारिज कर दिया गया। इस कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी गई कि आरोपित आदेश मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बाल नियम, 1973 (संक्षेप में 'नियम, 1973') के प्रावधानों के विपरीत है, इसे अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था और यह विभागीय परिपत्रों के भी विपरीत है, जिनमें प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय प्राधिकारियों द्वारा उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(4) उत्तरवादियों ने अपने प्रतिउत्तर में नियम, 1973 के नियम 37 का हवाला दिया है और कहा है कि यदि भर्ती किया गया व्यक्ति आपेक्षित दक्षता प्राप्त करने में विफल रहता है और विस्तारित अवधि के अंत में भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो उसे कमांडेंट द्वारा सेवामुक्त किया जा सकता है। अपीलार्थी भर्ती परीक्षा में दो बार अनुत्तीर्ण हुआ, इसलिए उत्तरवादियों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत और उचित है तथा उक्त नियम के नियम 37 के अनुरूप है।

(5) विद्वान एकलपीठ ने आक्षेपित आदेश पारित किया है और इस प्रकार टिप्पणी करते हुए याचिका को स्वीकार किया है:-

> "2. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान प्रश्न, कि क्या प्रशिक्षण अवधि के अंत में भर्ती परीक्षा में दो बार असफल होने पर सेवा से बर्खास्त होती है जैसा कि नियम 1973 के नियम 37 के तहत आवश्यक है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि नियम 37 और 38, नियम 1973, जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अनुकूलित किए गए हैं, पर मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर द्वारा ओ.ए. क्र. 1207/89 (महेंद्र सिंह बनाम कमांडेंट 11वीं बटालियन) और अन्य संबंधित प्रकरणों में विचार किया गया था। विद्वान न्यायाधिकरण ने दिनांक 18.2.2000 के आदेश द्वारा, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, याचिका स्वीकार कर ली और उत्तरवादियों को अपीलार्थियों को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया। वर्तमान अपीलार्थी का प्रकरण उन लोगों के समान है, जो ओ.ए. क्र. 1207/89 में अपीलार्थी थे।
>
> 3. उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क सही हैं। यह प्रकरण न्यायाधिकरण द्वारा महेंद्र

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिंह (पूर्वोक्त) के प्रकरण में पारित दिनांक 18.2.2000 के निर्णय एवं आदेश द्वारा पूरी तरह से समाहित है।

(6) राज्य/अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश राज्य के अधिवक्ता द्वारा दी गई छूट के आधार पर पारित किया गया है कि ओ.ए. क्र. 1207/89 (महेंद्र सिंह बनाम कमांडेंट 11वीं बटालियन) में मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा निर्धारित विधि का सिद्धांत वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में पूरी तरह से लागू होता है। ट्रिब्यूनल का आदेश अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया है। उपरोक्त आदेश के मात्र अवलोकन से ही स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में बर्खास्त आरक्षक महेंद्र सिंह को उसके उचित चयन के बाद 23-10-81 को नियुक्त किया गया था और उसे 9 महीने का प्रशिक्षण लेना था। उसने भर्ती परीक्षा दी, लेकिन अपेक्षित दक्षता हासिल करने में असफल रहा। नियम 1973 के नियम 37 के तहत उसे 6 महीने का और प्रशिक्षण लेने के लिए कहने की बजाय उसे असम में एक सक्रिय कंपनी में तैनात कर दिया गया। दूसरी परीक्षा जुलाई/अगस्त 1987 में हुई। उसे आगे शिक्षण, कोचिंग या प्रशिक्षण दिए बिना ही अचानक परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया। उत्तरवादियों ने दूसरी परीक्षा के बाद उसे बर्खास्त नहीं किया और नोटिस अवधि समाप्त होने तक उसे जारी रखने की अनुमति दी और 10-3-89 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं। इन परिस्थितियों में यह माना गया कि नियम 1973 के नियम 37 के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि केवल विवेकाधीन हैं। आरक्षक द्वारा दायर किए गए और विभाग द्वारा आपेक्षित नहीं किए गए दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादियों ने उक्त नियमों के नियम 37 के तहत प्रदान की गई शर्तों को शिथिल कर दिया है। हालांकि, मौजूदा प्रकरण में, अपीलार्थी नियम 37 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर दूसरी बार भर्ती परीक्षा में असफल रहा। राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा दी गई छूट न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की अनुचित और अवैध व्याख्या पर आधारित है तथा राज्य द्वारा अपने फैसले में दिए गए रुख के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) **कमांडेंट, 11वीं बटालियन, आंध्रप्रदेश स्पेशल पुलिस (आईआर), कडप्पा, जिला कडप्पा बनाम बी. शंकर नायक**[1] के प्रकरण में आदेश का अवलंब लेते हुए, यह तर्क दिया गया कि प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा होना रोजगार में बने रहने के लिए एक अंतर्निहित आवश्यकता है।

[1] एआईआर 2003 सुप्रीम कोर्ट 2249

(8) दूसरी ओर, उत्तरवादी/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मलय कुमार भादुड़ी ने **बालकृष्ण अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[2] के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई छूट के परिणामस्वरूप पारित किसी भी आदेश में कोई त्रुटि नहीं की जा सकती है और उत्तरवादियों के पास विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

(9) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है।

(10) याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नियम 1973 के नियम 37 के अनुसार दो अवसर दिए गए थे। जब वह 21-2-2000 को दूसरे अवसर में भी असफल रहा, तो उसे दिनांक 24-2-2000 के अनुलग्न-पी/1 के आदेश द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया। बाद में, विशेष सशस्त्र बल (एस.ए.एफ.) के उप महानिरीक्षक (अनुलग्न-पी/2) द्वारा उसकी अपील खारिज कर दी गई और पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुलग्न-पी/3 के माध्यम से उसकी दया याचिका पुनः खारिज कर दी गई। आपेक्षित आदेश केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन पर पारित किया गया है कि नियम 37 और 38, जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाए गए हैं, पर न्यायाधिकरण द्वारा ओ.ए. क्र. 1207/89 में विचार किया गया और न्यायाधिकरण ने याचिका को अनुमति दी थी और उत्तरवादियों को अपीलार्थी को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया था। अपीलार्थी का प्रकरण ओ.ए. क्र. 1207/89 में अपीलार्थियों के समान है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दलील का राज्य/उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया और यह तर्क दिया गया कि यह प्रकरण महेंद्र सिंह के प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश के अंतर्गत आता है। न्यायाधिकरण के आदेश, जिसे रिट याचिका के साथ संलग्न किया गया है, के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि द्वितीय भर्ती परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद अपीलार्थी को सेवामुक्त न करने के उत्तरवादियों के आचरण के आधार पर, यह माना गया कि उत्तरवादियों ने उक्त नियमों के नियम 37 के अंतर्गत प्रदत्त शर्तों को माफ कर दिया है, जबकि वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी को दूसरी बार भर्ती परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद तत्काल सेवामुक्त कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] 2007 (3) सी.जी.एल.जे. 85 (युगल पीठ)

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई छूट न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की अनुचित और अवैध व्याख्या पर आधारित है और राज्य के आदेश के प्रतिकूल है।

(11) **बी. शंकर नाइक** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, उत्तरवादियों को आरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। आदेश में निर्धारित शर्तों में से एक यह थी कि उन्हें परिवीक्षा अवधि के भीतर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और असफल होने पर उन्हें सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। उनकी सेवा इस आधार पर समाप्त कर दी गई कि वे निर्धारित परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहे। आंध्रप्रदेश पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों के विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए, यह माना गया कि नियुक्ति आदेश में परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी करने की आवश्यकता का स्पष्ट अर्थ प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा होना है। यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति प्रशिक्षण पास करने में विफल रहता है, तो उसे नियुक्ति की शर्तों को पूरा न करने के कारण सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

(12) वर्तमान प्रकरण में भी, चूंकि अपीलार्थी नियम, 1973 के नियम 37 के अनुसार उपरोक्त भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा, इसलिए उसे सेवा से पृथक कर दिया गया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(13) **महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक एवं अन्य**[3] के प्रकरण में यह माना गया है कि कोई पक्षकार अपने आदेश से पीछे हट सकता है और अपीलीय न्यायालय उसे दुर्लभ एवं समुचित प्रकरणों में इस आधार पर छूट से पीछे हटने की अनुमति दे सकता है कि छूट विधि की गलत समझ के आधार पर दी गई थी और परिणामस्वरूप गंभीर अन्याय हुआ; किन्तु वह छूट देने के तथ्य पर प्रश्न नहीं उठा सकता, जैसा कि आदेश में अभिलिखित है।

(14) **पी.के. वासुदेवा एवं अन्य बनाम जेनोबिया भनोट**[4] के प्रकरण में यह माना गया है:-

> "घटनाक्रम से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के एकलपीठ द्वारा दिनांक 1-5-1997 को पारित आदेश, जो अपीलार्थियों के अधिवक्ता की सहमति से पारित किया गया था, पर तब कार्रवाई की गई जब किराया नियंत्रण अधिकारी ने पुनर्विचार के बाद मामले का फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1-5-

[3] (1982) 2 एस.सी.सी. 463
[4] (1999) 7 एस.सी.सी. 377

1997 को पारित आदेश, जो पक्षकारों की सहमति से पारित किया गया था, तब समाप्त हो गया जब पक्षकार किराया नियंत्रक के समक्ष उपस्थित हुए और किराया नियंत्रक ने प्रकरण का फैसला सुनाया और उसके बाद चुनौती देने कुछ विशेष नहीं बचा। यदि अपीलार्थी चाहते तो वे उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1-5-1997 के आदेश को तत्काल चुनौती दे सकते थे और पुनर्विचार आदेश पर स्थगन प्राप्त कर सकते थे। अपीलार्थी ने ऐसा न करने का निर्णय लिया है, इसलिए पक्षकारों की सहमति के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1-5-1997 के आदेश को चुनौती देने में अब बहुत विलंब हो चुकी है। एक बार जब किरायेदारों के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार कर लिया कि पुनरीक्षण याचिकाओं को वापस भेजने की आवश्यकता है, तो किरायेदारों के लिए यह तर्क देना अब संभव नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1-5-1997 का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) **बीएसएनएल एवं अन्य बनाम सुभाष चंद्र कंचन एवं अन्य**[5] के प्रकरण में, यह माना गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 नियम 1 के अनुसार, एक वादी का प्रतिनिधित्व एक अधिवक्ता द्वारा किया जाता है। ऐसे अधिवक्ता द्वारा दी गई छूट उस पक्षकार पर बाध्यकारी होती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। यह भी कहा गया है कि यदि छूट विधि के किसी प्रश्न पर दी जाती है, तो मामला भिन्न हो सकता है। विधिक प्रश्न पर गलत छूट उसके मुवक्किल पर बाध्यकारी नहीं हो सकती है।

(16) **गणपतभाई माहिजीभाई सोलंकी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य**[6] के प्रकरण में, यह माना गया है कि अधिवक्ता द्वारा दी गई कोई भी गलत छूट राज्य पर बाध्यकारी नहीं होगी। यह भी माना गया है कि यह भी सर्वविदित है कि विधि के विपरीत दी गई स्वीकृति राज्य पर बाध्यकारी नहीं होगी।

---

[5] (2006) 8 एस.सी.सी. 279
[6] (2008) 12 एस.सी.सी. 353

(17) वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि हम पहले ही पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में अवलोकन किया है, कि महेंद्र सिंह के प्रकरण में पारित न्यायाधिकरण के आदेश को ध्यान में रखते हुए, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा दी गई छूट के आधार पर, आपेक्षित आदेश पारित किया गया था कि नियम 37, 1973 के संबंध में उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित विधि का अनुपात वर्तमान प्रकरण पर पूरी तरह से लागू होता है, हालांकि, जैसा कि हमारे आदेश के पहले भाग में पहले ही कहा जा चुका है कि न्यायाधिकरण ने माना है कि उत्तरवादियों ने उस प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध निर्विवाद साक्ष्यों के आधार पर उक्त नियमों के नियम 37 के तहत प्रदान की गई शर्तों को माफ कर दिया था और वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान नहीं है।

(18) जहाँ तक उत्तरवादी द्वारा बालकृष्ण अग्रवाल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिए गए भरोसे का सवाल है, यह सत्य है कि उत्तरवादियों ने छूट के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया था और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हालाँकि, इस अपील में अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए आधारों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई छूट राज्य द्वारा दायर जवाब में की गई तर्कों के विपरीत थी और न्यायाधिकरण के आदेश की अनुचित और अवैध व्याख्या पर आधारित थी, हम मानते हैं कि अपीलार्थियों ने हमारे हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) परिणामस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और रिट याचिका क्र. 4543/2004 में विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 29 जनवरी, 2008 के आदेश को खारिज करते हैं तथा उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज करते हैं।

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Brijesh Kumar Tiwari

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur